उत्तर प्रदेश शासन

कर एंव निबंधन, अनुभाग-4

संख्या-12/2018/क0नि0-4-211/11-2018-300(65)/2017

लखनऊ, दिनांकः 21 फरवरी, 2018

शुद्धि-पत्र

वाणिज्य कर कार्यालय भवन, मेरठ में लिफ्ट लगाए जाने के लिए लिफ्ट वेल के निर्माण (सिविल कार्य) हेतु धनराशि रू0-6.81 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश सं0-03/2018/क0नि0-4-1636/11-2017-300(65)/ 2017, दिनांक 09.01.2018 द्वारा प्रदान की गई है, के पृष्ठांकन के क्रमांक सं0-05 में अंकित **"अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड, लोक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड, मेरठ"** के स्थान पर **"अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ"** पढ़ा जाए।

2- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(मो0 मारूफ)

विशेष सचिव

संख्या-12/2018/क0नि0-4-211(1)/11-2018-तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहबाद।
3-निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहन भवन, लखनऊ।
4-मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ, उ0प्र0।
5-वित्त नियंत्रक/ज्वाइंट कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
6-अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ।
7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।